

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 1711 /2-6, दिनांक, गोरखपुर, जनवरी 12/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- जनपद देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस०एच०-1 कि०मी० 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- भारत सरकार के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/४६/२०१७/एफ०सी०/४४४ दिनांक 05.12.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1397/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/अन्य/16134/2015 दिनांक 07.12.2023 व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-1565/2-6, दिनांक 29.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- 1565/2-6, दिनांक 29.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संसोधित प्रस्ताव का अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव का अभिलेख मूल में एत्सह संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या- अ/दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 1565/2-6 देवरिया, दिनांक, दिसम्बर 29 / 2023
सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 के कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र संख्या-8वी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/444/दिनांक 05.12.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1397/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/16134/ 2015 दिनांक 07.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति का विवरण	उत्तरालेख
1	प्रभागीय निदेशक उस प्राधिकरण के खिलाफ एफ0सी0ए0 दिशा निर्देशों के खण्ड -3ए, और 3बी के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा। जिसने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिये उपयोग के आदेश पारित किये हैं। की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।	विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव में वन विभाग के किसी भी अधिकारी, द्वारा भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना गैर वानिकी प्रयोग हेतु कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रभाग द्वारा बिना भारत सरकार के अनुमति/आदेश के उल्लंघन के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रभाग द्वारा Clause-3B के तहत एच-2 केस जारी किया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है, इसके पूर्व में जारी एच-2 केस की प्रतिकर की धनराशि रू0 50,000.00 प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म से जमा कराकरा एच-2 केस प्रशमित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.01.2018 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा कराये जाने की बचनबद्धता एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर पूर्व में प्रेषित की गयी है। उक्त की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-1 एच-2 केस की सत्यापित प्रति।

2-दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना एवं बचनबद्धता प्रमाण-पत्र।

3-एच-2 केस, प्रशमित प्रमाण-पत्र।

4-दोषियों के खिलाफ जारी नोटिस की छाया प्रति।

निदेश

मो. 07.01.2024

4063
2-6
11-01-2024

भवदीय

R. J. J. J.

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 3(बी) का उल्लंघन

रिपोर्ट नं० दिनांक 21-12-2023 रेंज बख्त वीट गलुखिया

रेंज केस नम्बर 23/2023-24

20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता श्रीमती विष्णु अग्रवाल देवी 40/6 रमेशा बापसरो
नि. सोनौली - बालिया बाजार कि० मी० 153 से 154 के मध्य दायी पट्टी
अहिलवार बुर्ज, तहसील - सदर, जिला - देवरिया।

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता
श्री राम पीठसिंह शिवोवन खणिकर - बख्त

3. कथित अपराध का पूरा विवरण सोनौली - बालिया बाजार कि० मी० 153 से 154
के मध्य दायी पट्टी पर बिना अनुमति के वन गूँव का गैरकानूनी
प्रयोग किया जाना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा
3(बी) का उल्लंघन।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

हानि प्रति प्रमाणित

5. कुल हानि का मूल्यांकन

वन प्रभाषीन व अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जांच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ
भारत सरकार के पत्र सी-8बी/यू०पी०/०६/५६
डि० 17/एच० सी०/५५५ डि० 15-12-2023 के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम
1980 के धारा 3(बी) का उल्लंघन किया है।

IC
आ. की. की.
R. J.
22-12-2023

दिनांक- 21.12 20 23

R. J. Jha
केस काटने वाले का हस्ताक्षर
पद DFO देशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग


एन0पी0वी0 की गणना

जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड (नयारा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा सलेमपुर-देवरिया मार्ग (एस0एच0-1) ग्राम-अहिल्यापुर बुजुर्ग, तहसील-देवरिया की गाटा सं0-547, प्रस्तावित किये गये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग से 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु एन0पी0वी0 की गणना :-

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन कम में भारत सरकार की पत्र संख्या-11-42/2017 /एफ0सी0 दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0सी0 डिविजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2011, एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 रेट के अनुसार गणना :-

एन0पी0वी0 की गणना :-	=	Rs. 92,179.00
दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना 2019 से 2023 तक :-		
	=	92179x5=4,60,895
5 वर्ष का ब्याज	=	<u>460895x12x5</u>
		100
	=	2,76,537/-
कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0	=	2,76,537 + 92179=3,68,716
देय दण्डात्मक एन0पी0वी0	=	<u>3,68,716x20</u>
		100
	=	73,743.2/-
कुल देय एन0पी0वी0	=	92179 + 73743 = 1,65,922/-


(ज.ज.दी.आर.)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
देवरिया

एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सोनौली-बलिया मार्ग (S.H.-1) के कि०मी० 153 से 154 के मध्य दांयी पटरी पर ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रस्तावित 0.075028 हे० संरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है जिस पर एच-2 केस संख्या-17/2022-23 दिनांक 20.09.2023 इजरा किया गया है जिसका प्रतिकर प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा रू०-50,000.00 मात्र की धनराशि ई-3 संख्या-12946 दिनांक 12.05.2023 द्वारा जमा कराकर केस प्रशमित किया गया है।


R. Jyoti

(जगदीश आर)
प्रादेशिक निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

बचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच0-1) कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नायरा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के रूप में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग में जारी विभागीय एच-2 केस में जो प्रतिकर निर्धारित की जायेगी जो कम से कम हो, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार जमा करने की बचनबद्धता दी जाती है इसके अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि निर्धारण किया जायेगा उसे नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया जायेगा। इसके लिए प्रार्थी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। न्याय के लिए ईश्वर मेरी रक्षा करें।


संज्ञीय वन अधिकारी
बरहज रेंज
सा0 अ0 प्रभाग, देवरिया

भवदीय
NAYARA ENERGY LTD.

Divisional Manager
प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म
नायरा एनर्जी लिमिटेड सिगरा वाराणसी
ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग
तहसील-सदर
जनपद-देवरिया
दिनांक
VISHWA BHARTI